

[दि शिडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शिडयूल्ड ट्राइब्स सब प्लान्स (बजटरी एलोकेशन एण्ड स्पेशल स्कीम्स)
बिल, 2017 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ० उदित राज, संसद सदस्य

का

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां उप-योजना (बजटीय आबंटन और विशेष योजनाएं) विधेयक, 2017

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण और विकास
हेतु विशेष योजनाओं पर लक्षित व्यय के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमता
को शीघ्र समाप्त करना सुनिश्चित करने और उससे संबंधित या उसके
आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां उप-योजना
(बजटीय आबंटन और विशेष योजनाएं) अधिनियम, 2017 है।

संक्षिप्त नाम, और
प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ख) “अनुसूचित जातियां उप-योजना” से निधियों के आबंटन, अनन्य योजनाओं की पहचान और उन्हें तैयार करने, ऐसी योजनाओं पर व्यय और अनुसूचित जातियों के लिए इसके अंतिम परिणाम के विश्लेषण की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ग) “विशेष योजनाओं” से ऐसी योजनाएं अभिप्रेत हैं जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के विकास तथा परिक्षेत्रों की भौतिक और सामाजिक अवसंरचना, लड़कियों और लड़कों के लिए विशेष विद्यालय, कोचिंग सेन्टर, कामकाजी महिला छात्रावास, विशेष पुस्तकालय, स्वास्थ्य और रोजगार इत्यादि जैसी सामुदायिक अवसंरचना में सुधार करने के लिए पृथक-पृथक लाभार्थी योजनाओं, परिवारोन्मुख सह आय सृजनकारी योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है;

(घ) “जनजातीय उप-योजना” से निधियों के आबंटन, अनन्य योजनाओं की पहचान और उन्हें तैयार करने, ऐसी योजनाओं पर व्यय और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना के अंतिम परिणाम के विश्लेषण की प्रक्रिया अभिप्रेत है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बजटीय आबंटन।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के लोगों के कल्याण और विकास के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजटीय आबंटन करने के लिए पृथक-पृथक योजना बनाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत इस प्रकार नियत बजटीय आबंटन विशेष योजनाओं पर ही, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, व्यय किया जाएगा।

(3) अनुसूचित जातियां उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत बजटीय आबंटन का न तो अन्यत्र उपयोग किया जाएगा और न ही वह व्यपगत होगा।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियां उप-योजना के लिए भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा तथा जनजातीय उप-योजना के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा।

(5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जातियां उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के लिए क्रमशः पृथक वार्षिक बजट और निष्पादन बजट प्रस्तुत करेंगे।

शास्तियां।

4. जो कोई भी धारा 3 की उप-धारा (2) अथवा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जानबूझकर और सोच-समझकर कर्तव्य की उपेक्षा करने के कृत्य का दोषी होगा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय किए जाने के पश्चात् अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

5. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट इनसे अंसगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

6. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों से अंसगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों।

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

7. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

5

10

15

20

25

30

1989 का 33

35

40

- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम ऐसे जैसा भी मामला हो, परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभावी हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अंतर्गत पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दलितों एवं आदिवासियों तथा अन्य लोगों के बीच विकास के अंतर को पाटने के लिए विधायी प्रयास 1950 से ही शुरू हुए थे जब संविधान में आरक्षण नीति के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, लोक सेवाओं में रोजगार तथा निर्वाचन सीटों के क्षेत्रों में अवसर प्रदान किए गए थे। आर्थिक दृष्टि से अब तक अनुमोदित सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतियां हैं जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) तथा स्पेशल कंपोनेंट प्लान (एससीपी), जिसे अब अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के नाम से जाना जाता है, संबंधी कार्यकारी बजट नीतियां जिनके अनुसार मौजूदा जनगणना आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के विभागों में निधियां एवं संसाधन सुरक्षित रखे जाते हैं।

तथापि मौजूदा स्थिति की गहन संवीक्षा करने पर पता चलता है कि इन दोनों नीतियों को कारगर ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इन नीतियों के तहत निर्धारित की गई धनराशि का अन्यत्र सामान्य योजना में उपयोग कर लिया जाता है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं के निधियन हेतु प्रयोग में नहीं लाई जाती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दलित और आदिवासी देश में विकास की मुख्यधारा से अब भी बहुत दूर हैं। साक्षरता का अंतर अभी भी काफी अधिक है और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर अभी भी काफी अधिक है। शिशु मृत्यु दर तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अधिक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पास अभी भी मानव जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं जैसे जल एवं विद्युत आपूर्ति सुविधाओं, शौचालयों, मलजल निकास, मकानों इत्यादि का अभाव है और उनमें निर्धनता अभी भी व्याप्त है।

वास्तव में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निधियों का उपयुक्त आवंटन अनिवार्य बनाकर उनका समय से वितरण तथा प्रभावी प्रबंधन कर ही सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अतः इन समुदायों के समग्र एवं तीव्र आर्थिक विकास को हासिल करने के उद्देश्य से एक नया विधान लाए जाने की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित कराने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित निधि का अपयोजन किए बिना अनुसूचित जातियों उप-योजना और अनुसूचित जनजातियां उप-योजना के लिए कानूनी समर्थन देना और उनके कार्यान्वयन की सख्त मानीटरिंग करने का प्रस्ताव है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;

उदित राज

13 अप्रैल, 2016

24 चैत्र, 1938 (शक)

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण और विकास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा पृथक बजटीय आवंटन किए जाने का उपबंध करता है। अतः इस विधेयक को अधिनियमित किए जाने पर इस पर भारत की संचित निधि से व्यय होगा। इस अवस्था में होने वाले व्यय का आकलन करना संभव नहीं है।

इस पर कोई अनावर्ती व्यय होने की संभावना नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 7 विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि ये नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण और विकास हेतु विशेष योजनाओं पर लक्षित व्यय के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमता को शीघ्र समाप्त करना सुनिश्चित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

(डॉ० उदित राज, संसद सदस्य)